इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 148]   भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च 2012—चैत्र 10, शक 1934

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2012

क्र. 8982-वि.स./विधान/2012.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 13 सन् 2012) जो विधान सभा में दिनांक 29 मार्च, 2012 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १३ सन् २०१२

मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, २०१२.

मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, २०११ को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. १. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर (संशोधन) अधिनियम, २०१२ है.

(२) (क) इस संशोधन अधिनियम की धारा २ के उपबंध १ अप्रैल, २०११ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे.

(ख) इस संशोधन अधिनियम के शेष उपबंध १ अप्रैल, २०१२ से प्रवृत्त होंगे.

धारा २ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, २०११ (क्रमांक ११ सन् २०११) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, उपधारा (१) में, खण्ड (ठ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

(ठ) "मैरिज हॉल" में सम्मिलित है लॉन, गार्डन, कोई भवन या किसी भवन का हिस्सा जहां एक सौ से अधिक व्यक्तियों को किसी भी प्रसंग, जिसमें सम्मिलित है सेमिनार या कन्वेंशन या बेंक्वेट या बैठक या प्रदर्शनी-सह-विक्रय, के लिए स्थान या जगह उपलब्ध कराई जाती है;".

धारा ३ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा ३ में, उपधारा (२) में, शब्द "पांच लाख रुपये" के स्थान पर, शब्द "दस लाख रुपये" स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विधान सभा में वर्ष २०१२-१३ के लिए बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री द्वारा दिये गये भाषण के भाग-दो में अंतर्विष्ट कर प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, २०११ (क्रमांक ११ सन् २०११) में समुचित संशोधन किया जाना प्रस्तावित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २७ मार्च, २०१२

राघवजी
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.